बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

-कार्यालय आदेश-

का0आ0सं0-5/आर0एल0-40-85/2018श्र0सं0-*7196* पटना, दिनांक-*23.10.2018*

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 (वि0सं0-07070114) के परीक्षाफल के आधार पर चयनित एवं पत्रांक-1887, दिनांक-18.07.2018 द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री रमण कुमार को श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली-2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के पद पर वेतन स्तर-07 (₹44,900-1,42,400) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ पूर्णतः औपबंधिक रूप से निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -08 में अंकित अंचल / जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	मु0 परीक्षा का रौल नं0	मेधा क्र0	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							अंचल	जिला
1	श्री रमण कुमार	112426	2	अनारक्षित	03.02.1986	समस्तीपुर	पटना सदर	पटना

2. यह नियुक्ति श्री कुमार द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति श्री कुमार द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं, शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि सत्यापन के क्रम में अनुकूल प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. बिहार पेंशन नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इनपर नई अंशदायी पेंशन योजना (**N.P.S.**) लागू होगी।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सू0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082, दि0-01.04.2003 के अनुपालन में श्री कुमार को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6.   श्री रमण कुमार, नव नियुक्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम पन्द्रह दिन के अन्दर समर्पित करेंगे। पन्द्रह दिन के अन्दर योगदान नहीं करने पर एवं साक्ष्य सहित अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर श्री कुमार की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी।

7.   श्री कुमार की परीक्ष्यमान अवधि सेवा में योगदान की तिथि से दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मेधा क्रम के अनुसार होगी। इस अवधि में ये श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त नियमावली)–2017 के द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

8.   श्री कुमार को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9.   पदस्थापन प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–85/2018श्र0सं0– *7196*   पटना, दिनांक–*23.10.2018*

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–85/2018श्र0सं0– *7196*   पटना, दिनांक–*23.10.2018*

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–85/2018श्र0सं0–*7196*   पटना, दिनांक–*23.10.2018*

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/ माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी, पटना/ अंचलाधिकारी, पटना सदर/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक, पटना एवं आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को उक्त नियुक्ति संबंधी कार्यालय आदेश विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/10/18
श्रमायुक्त, बिहार

mk Shukla2